



सं. AG(Audit-I)/ITS Cell /6-2/2025-26/

दिनांक: 29/12/2025

**परिपत्र सं / Circular No. 71**

मुख्यालय कार्यालय ने सूचित किया है कि आधिकारिक ईमेल खाते (नाम आधारित / पदनाम आधारित / अनुभाग आधारित) जो 30 दिनों से अधिक समय तक निष्क्रिय रहते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। 90 दिनों तक निष्क्रिय रहने वाले खातों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और 180 दिनों तक निष्क्रिय रहने वाले खातों को उनसे संबंधित सभी डेटा सहित स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा, और उन्हें पुनः प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं होगी।

अतः सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमित रूप से अपने आधिकारिक ईमेल खातों में लॉग इन करें और सुनिश्चित करें कि खाते सक्रिय और अद्यतित रहें। यह भी दोहराया जाता है कि आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग केवल अधिकृत आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए, न कि किसी अनधिकृत, गैर-आधिकारिक या गैर-विभागीय गतिविधियों के लिए।

HQ Office has informed that official email accounts (name-based / designation-based / section-based) which remain dormant for more than 30 days are liable for suspension. Accounts inactive for 90 days will be deactivated and those remaining inactive for 180 days will be permanently deleted along with all associated data, without any possibility of recovery.

All employees are therefore directed to log in to their official email accounts regularly and ensure that the accounts remain active and updated. It is further reiterated that official email IDs shall be used strictly for authorised official purposes only and not for any unauthorised, non-official, or non-departmental activities.

(उम्मेरे दिनांक 26-12-2025 के आदेशानुसार जारी)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / अई टी एस  
Senior Audit Officer/ITS